भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 762
उत्तर देने की तारीख 26 जुलाई, 2023
बुधवार, 04 श्रावण, 1945 (शक)

कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत नियोजन

762 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार के विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत लगभग 1.37 करोड़ व्यक्तियों में से केवल 24.51 लाख को ही नियोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुशल व्यक्तियों के लिए नियोजन सुनिश्चित करने में क्यों विफल रही है; और

(घ) सरकार ने विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत नियोजन के निराशाजनक स्तर में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) शुरू की। दिनांक 31.03.2023 तक, इस स्कीम के अंतर्गत 1.37 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 24.37 लाख उम्मीदवारों को नियोजन प्राप्त होने की रिपोर्ट है। वर्ष-वार प्रशिक्षित और सूचित नियोजितों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित	नियोजन रिपोर्ट
2015-16	15,51,886	2,18,019
2016-17	6,55,569	35,556
2017-18	21,23,104	4,53,076
2018-19	20,40,206	7,04,220
2019-20	45,65,475	6,08,389
2020-21	19,60,776	2,16,102

2021-22	6,16,040	1,64,162
2022-23	2,11,170	38,054
योग	**1,37,24,226**	**24,37,578**

(ग) औए (घ) नियोजन को केवल पीएमकेवीवाई के अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक के तहत ट्रैक किया जाता है। हालांकि, अन्य स्कीमों की तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रशिक्षित उम्मीदवारों की आय में वृद्धि या नियोजन के मामले में सफलता मिली है। जहां तक जेएसएस स्कीम के लाभार्थियों के रोजगार का सवाल है, इस स्कीम की तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में पाया गया कि जेएसएस में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव के रूप में, स्व और वैतनिक रोजगार और निजी जॉब संभव हुई हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि स्कीम की उपयोगिता इस तथ्य से और अधिक स्पष्ट होगी कि 77.05% लाभार्थी प्रशिक्षुओं ने व्यावसायिक बदलाव किए हैं। आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट (कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2018 में प्रकाशित) में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्ण में से 63.5% को रोजगार (वेतन + स्व, जिनमें से 6.7% स्व-रोज़गार हैं) प्राप्त हैं।

पीएमकेवीवाई-एसटीटी के तहत प्रमाणित उम्मीदवारों के नियोजन के अवसरों को बढ़ाने के लिए, नियोजन को प्रशिक्षण प्रदाताओं को भुगतान के साथ सम्बद्ध किया गया है। अंतिम किश्त, अर्थात, कुल भुगतान का 30 प्रतिशत केवल उम्मीदवारों की नियुक्ति सुनिश्चित करने पर प्रशिक्षण प्रदाताओं को वितरित किया जाता है। जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार मेले एवं शिक्षुता मेले आयोजित किये जा रहे हैं। इसके अलावा, रोजगार के अवसरों को सक्षम करने के लिए, स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) पोर्टल को वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया है जो कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता इकोसिस्टम को एकीकृत करता है ताकि व्यापक रेंज को लक्षित करने वाली सेवाओं, शिक्षार्थियों, क्षेत्र कौशल परिषदों, ज्ञान प्रदाताओं, सामग्री भागीदारों, प्रशिक्षण भागीदारों, कौशल केंद्रों, प्रशिक्षकों, आकलनकर्ताओं, आकलन एजेंसियों, अवार्डिंग निकायों और वित्तीय संस्थानों सहित लाभार्थियों की संख्या, की आजीवन श्रृंखला प्रदान की जा सके।
